रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239250
CG-DL-E-30092022-239250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 476] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-171/2014-डीडी/199/2014-डीसी/789/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. अब्राहम जकारिया (सदस्यता संख्या 024413), 103, प्रिंस रेजीडेंसी, 20, स्टर्लिंग रोड एवेन्यू, नुंगमबक्कम, चेन्नई 600 034** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (2) और खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त **सीए. अब्राहम जकारिया (सदस्यता संख्या 024413)** के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है । अत: उसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त **सीए. अब्राहम जकारिया (सदस्यता संख्या 024413) का नाम 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था** । समिति के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22(छ) के निबंधनानुसार एक अपील फाइल की थी और अपीलीय प्राधिकरण ने अपने तारीख 17 अगस्त, 2022 को उदघोषित आदेश के द्वारा दंड की अवधि को उपांतरित किया था और उसे घटाकर अपीलार्थी द्वारा पहले से भोग ली गई दंड की अवधि तक कर दिया था और साथ ही यह भी आदेश दिया था कि अपीलार्थी के नाम को

तत्काल सदस्यों के रजिस्टर में सम्मिलित किया जाए । तदनुसार, अपीलीय प्राधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में तारीख 11 जनवरी, 2022 की अधिसूचना, जिसके द्वारा **सीए. अब्राहम जकारिया (सदस्यता संख्या 024413) का नाम 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, इस हद तक संशोधित किया जाता है कि उनका नाम केवल 16 अगस्त, 2022 तक ही सदस्यों के रजिस्टर से हटाया गया है।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./298/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-171/2014-DD/199/2014-DC/789/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Abraham Zachariah (Membership No.024413),103, Prince Residency, 20, Sterling Road Avenue, Nungambakkam, CHENNAI 600 034**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (2) and (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Abraham Zachariah (Membership No. 024413)** from the Register of Members for a period of 01(One) year. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the name of said **CA. Abraham Zachariah (Membership No. 024413) was removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 11th January, 2022**. Aggrieved by the Order of the Committee, the Respondent preferred Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority vide its order pronounced on 17th August, 2022 had modified the quantum of punishment to the period already undergone by the Appellant and also ordered for restoration of name of the Appellant in the Register of Members forthwith. Accordingly, in pursuance of the said order of the Appellate Authority, the notification dated 11th January, 2022 wherein the name of **CA. Abraham Zachariah (Membership No. 024413) was removed for a period of 01(one) year is hereby modified to the extent that his name stands removed till 16th August, 2022 only.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./298/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA